न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:—0744—2325871

GCMS NO.-2023/83
मिसल नम्बर— 24 / 2023

1. उमा कुमारी उर्फ उर्मिला कुमारी पुत्री तेजराज सिंह जाति राजपूत निवासी गेंता तहसील पीपल्दा हाल निवासी फ्लेट नम्बर 103 प्लॉट नम्बर 1268 रानी सती नगर जयपुर

प्रार्थी।

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा कोटा

अप्रार्थी।

—:निर्णय:—

(राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायें जाने हेतु।)

दिनांक 23/12/24

उपस्थिति:—

1.श्री कैतन चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी।

2.सरकार पैरोकार।

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रार्थना—पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाये जाने हेतु प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना—पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया के खाते एवं कब्जे काशत की कृषि आराजी खसरा नम्बर 2/2 रकबा 0.1151 है0 एवं खसरा नम्बर 5 रकबा 5.1000 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 5.2151 है0 वाके ग्राम भीमपुरा पटवार हल्का आलनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है। प्रार्थिया के खाते की उपरोक्त आराजी व अन्य व्यक्तियों के खाते की आराजी के मध्य मेड स्थित है तथा नक्शे में भी तरमीम हो रही है। प्रार्थिया को अपनी आराजी को सीमाज्ञान व पैमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तहसील लाडपुरा में ग्राम भीमपुरा (आलनिया) ऑनलाईन नही हो पाया है। ग्राम भीमपुरा पटवार मण्डल आलनिया व ग्राम उम्मेदपुरा पटवार मण्डल आलनिया की सीमाओं पर लगभग 200 से 300 मीटर की ओवरलेपिंग होने से सीमाओं का मिलान नही हो पा रहा है भूमि की मौका स्थिति अनुसार घना जंगल व पहाडी क्षेत्र होने से जरीब/फीता

उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

चलाया जाना संभव नही है जब तक सीमाओं का विवाद हल नही होता तब तक आन्तरिक खसरा नम्बर की तरमीम किया जाना संभव नही हो रहा। ऐसी स्थिति में पत्थर गढी/सीमाज्ञान किया जाना संभव नही है।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थिया अपने खाते की भूमि कुल किता 02 रकबा 5.2151 है0 का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाना चाहती है जबकि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि ग्राम भीमपुरा व ग्राम उम्मेदपुरा की सीमाओं पर लगभग 200 से 300 मीटर की ओवरलेपिंग होने के कारण सीमाओं का मिलान नही हो पा रहा है और जब तक सीमाओं का विवाद हल नही हो जाता तब तक आंतरिक खसरा नम्बर की तरमीम किया जाना संभव नही है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि इसी कारण तहसील को ऑनलाईन करते समय भी ग्राम भीमपुरा में तरमीम नही हो पाने के कारण ग्राम भीमपुरा आज तक ऑनलाईन नही हो पाया है।

उक्त परिस्थिति में यह प्रमाणित है कि दो गांवों की सीमाओं के ऑवरलेप के कारण ग्राम भीमपुरा में आन्तरिक तरमीम नही हो पा रही है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में प्रार्थिया को अपेक्षित राहत दिया जाना संभव नही है।

अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी तहसीलदार लाडपुरा को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि जब भी भीमपुरा से संबंधित विवाद का निस्तारण हो जाये तो स्वमेव प्रार्थिया को सूचित कर प्रार्थिया के खाते की तरमीम व पत्थरगढी का कार्य प्राथमिकता के आधार पर संपादित किया जावें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 23/12/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अधिकारी ★ कोटा ★ उपखण्ड